[redacted]

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क्र0 9/नर्सिंग/सेल-1/2014/335 भोपाल दिनांक 26/5/2014

आदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के पदोन्नति आदेश क्रमांक 9/नर्सिंग/सेल1/2014/191 दिनांक 3.03.14 के द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 30.01.14 एवं 10.02.2014 की अनुशंसा के आधार पर प्रदेश में कार्यरत स्टॉफ नर्स को नर्सिंग सिस्टर/हाउस कीपर के पद पर निम्नलिखित कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान की गई थी।

सरल क्र.	वरीयता क्र0	कर्मचारी का नाम एवं पद	जाति	पदस्थापना स्थान	प्रथम नियुक्ति दिनांक	रिमार्क
1	5	श्रीमति काशी अखंडे स्टॉफ नर्स	सामान्य	जय प्रकाश चिकित्सालय भोपाल	8.01.1973 ए.एन.एम.	स्टॉफ नर्स 6.03.1984
2	78	श्रीमति सुभद्रा नायर	सामान्य	जय प्रकाश चिकित्सालय भोपाल	6.12.1977 ए.एन.एम.	स्टॉफ नर्स 1.07.1996
3	103	श्रीमति सुभाष पोहेकर	सामान्य	जय प्रकाश चिकित्सालय भोपाल	25.02.1980 ए.एन.एम.	स्टॉफ नर्स 28.10.1998

उपरोक्त दर्शित तालिका में पदोन्नत किये गये कर्मचारी क्रमांक 1,2,3 का परीक्षण उपरांत प्रथम नियुक्ति दिनांक (ए.एन.एम. के पद पर) के आधार पर पदोन्नति प्रदान की गई थी। उक्त कर्मचारियों के अभिलेखो के परीक्षण उपरांत पदोन्नति की पात्रता नहीं आती है। अतः दर्शित पदोन्नत किये गये कर्मचारियों के आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। इनकी वरीष्ठता का निर्धारण प्रथक से किया जावेगा।

26/5/14

डॉ. बी.के. मिश्रा
संयुक्त संचालक(नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ0क्र0 9/नर्सिंग/सेल-1/2014 भोपाल दिनांक / /2014

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निज सहायक माननीय मंत्री जी,/राज्य मंत्री जी मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश।
2. निज सहायक आयुक्त स्वास्थ्य मध्यप्रदेश।
3. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें भोपाल संभाग भोपाल म.प्र.।

order

[redacted]

7 Dec 2017 1:33 PM P C Thomas

4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भोपाल मध्यप्रदेश। की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि श्रीमति निलिमा थामस सरल क. 24 वरीष्ठता क. 35 सामु.स्वा.केंद्र गांधी नगर भोपाल का जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने का डिप्लोमा एवं प्रथम नियुक्ति दिनांक की पुष्टि करते हुये जानकारी तत्काल विशेष पत्र वाहक के हस्ते संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला विदिशा की ओर भेजकर लेख है कि संचालनालय के पत्र क. 9/नर्सिंग/सेल 2/2014/272 दिनांक 3.04.2014 के पालन में आपके अधीन पदस्थ राजम्मा स्टॉफ नर्स एवं रोजी सालोमन स्टॉफ नर्स बासोदा जिला विदिशा का प्रथम नियुक्ति दिनांक एवं जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण पूर्ण करने का वर्ष की पुष्टि संचालनालय में अप्राप्त है। कृपया तत्काल उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

6. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय जबलपुर की ओर भेजकर लेख है कि आपके अधीन पदस्थ श्रीमति निलिमा चौधरी स्टॉफ नर्स सरल क0 93 वरीयता क. 129 का प्रथम नियुक्ति दिनांक एवं जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने की जानकारी की पुष्टि कर तत्काल संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

7. सिविल सर्जन सह , मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला भोपाल के पत्र क. स्था/नर्सिंग/2014/4686 दिनांक 19.03.2014 के संदर्भ में भेजकर लेख है कि संबंधित कर्मचारियों को पदोन्नति की पात्रता नहीं आती है। इन्हे स्टॉफ नर्स के पद पर ही कार्य लिया जावें।

डॉ. बी.के.मिश्रा
संयुक्त संचालक(नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

order

7 Dec 2017 1:33 PM P C Thomas

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क0 9/नर्सिंग/सेल–1/2014 भोपाल दिनांक / /2014

–: आदेश :–

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के स्टॉफ नर्स से नर्सिंग सिस्टर के पदोन्नति आदेश क0 9/नर्सिंग/सेल 1/2014/191 दिनांक 03.03.2014 के द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग में क0 24 वरीयता क. 1380 श्रीमति चित्ररेखा उके जिला चिकित्सालय छतरपुर को अनुसूचित जाति के अंतर्गत पदोन्नति प्रदान की गई थी। इनके सेवा अभिलेखो के परीक्षण उपरांत श्रीमति उके अनुसूचित जनजाति की उम्मीदवार होने के कारण इनका इन्हे, पदोन्नति की पात्रता नहीं आती है। इनका पदोन्नति आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

संयुक्त संचालक(नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्र. 9/नर्सिंग/सेल–1/2014/363 भोपाल, दिनांक 3/5/2014

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1 निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य मध्यप्रदेश।
2 संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें, सागर संभाग सागर मध्यप्रदेश।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला छतरपुर मध्यप्रदेश।
4. श्रीमति चित्ररेखा उके स्टॉफ नर्स जिला चिकित्सालय छतरपुर म.प्र.।
5- प्रभारी, एम० एम० आई० एस० श्री [illegible] की ओर [illegible] प्रेषित है एवं उक्त आदेश विभाग की वेब साईट पर प्रकाशित करें।

1/5/14

संयुक्त संचालक(नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

7 Dec 2017 1:33 PM P C Thomas

_संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र. 9/नर्सिंग/सेल–3/2016/ भोपाल, दिनॉक / /2016

प्रति,

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
जयप्रकाश चिकित्सालय भोपाल,
मध्यप्रदेश।

विषय :– वर्ष 2016–17 प्रशिक्षण सत्र में सुश्री एकता कैथवास स्टॉफ नर्स को दी गई विभागीय एम.एस.सी.नर्सिंग प्रशिक्षण की अनुमति निरस्त करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सुश्री एकता कैथवास के द्वारा वर्ष 2009–11 में पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण कक्षा में नियमित छात्र के रूप में उत्तीर्ण नहीं की गई है। साथ ही उन्होनें पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु विभागाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त नहीं की थी।

भारतीय उपचर्या परिषद् के मापदंड अनुसार पोस्ट बेसिक बी.एस.सी नर्सिंग/एम.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम नियमित पाठ्यक्रम है। रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल ने उनके पत्र क्र. 15326 दिनांक 24.112016 के द्वारा अवगत कराया गया है कि जो छात्र–छात्राऐं पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग/एम.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण के लिए कक्षा में नियमित उपस्थित नहीं होते(Non attending) हैं, उनकी डिग्री मान्य नहीं की जा सकती। सुश्री एकता कैथवास के द्वारा पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग की डिग्री आई.एन.सी के नियमानुसार प्राप्त नही की गई है एवं साथ ही विभागाध्यक्ष से अनुमति भी नही ली गई है, ऐसी स्थिति में इनकी बी.एस.सी. नर्सिंग डिग्री मान्य नहीं होने के कारण इन्हें एम.एस.सी नर्सिंग प्रशिक्षण की पात्रता नही आती है। सुश्री कैथवास के द्वारा विभाग को गुमराह करते हुये अधूरी जानकारी उपलब्ध कराते हुये एम.एस.सी नर्सिंग की अनुमति प्राप्त की गई है।

अतः प्रशिक्षण सत्र वर्ष–2016–17 में एम.एस.सी. नर्सिंग में प्रवेश हेतु संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश से जारी पत्र कमांक 9/नर्सिंग/सेल–3 /2016/719–20 दिनांक 23.07.2016 सरल कमांक 15 पर अंकित सुश्री एकता कैथवास स्टॉफ नर्स जयप्रकाश चिकित्सालय भोपाल को स्वयं के व्यय पर एम.एस.सी नर्सिंग करने की दी गई अनुमति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती हैं।

(डॉ.जे.एल.मिश्रा)
संचालक नर्सिंग
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

F:\letter for ggg.docx

7 Dec 2017 1:34 PM P C Thomas

[redacted]

पृ.क्र. 9/नर्सिंग/सेल–3/2016/1056 भोपाल, दिनॉक 8/12/2016

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश।
2. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें भोपाल म.प्र.।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल म.प्र.।
4. प्रभारी एम.आई.एस. की ओर भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को तत्काल विभाग की वेबसाईट पर प्रसारित करें।
5. सुश्री एकता कैथवास जय प्रकाश चिकित्सालय भोपाल की ओर पालनार्थ।

संचालक नर्सिंग
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

F:\letter for ggg.docx

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुडा भवन मध्यप्रदेश

क्र. 9/नर्सिंग/सेल–3/2017/ भोपाल, दिनांक / /2017

//आदेश//

प्रशिक्षण सत्र वर्ष 2015–16 में सुश्री संगीता पवार को एम.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण की अनुमति संचालनालय के आदेश क्र. 9/नर्सिंग/सेल 3/2015/815 दिनॉक 21.07.2015 के द्वारा दी गई है, एवं आदेश में प्रशिक्षण के लिये कार्यमुक्त करने हेतु लेख किया गया था। एम.एम.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण नियमित प्रशिक्षण हैं एवं शासकीय सेवा में नियमित उपस्थिति के साथ यह प्रशिक्षण किया जाना संभव नहीं हैं।

संचालनालय में प्राप्त दस्तावेजों से यह स्पष्ट हुआ है कि आपके द्वारा नियमित शासकीय सेवा में नियमित उपस्थिति के साथ यह प्रशिक्षण किया जा रहा है। जो आई.एन.सी. के नियमानुसार नही है। प्रशिक्षण सत्र वर्ष–2015–16 में एम.एस.सी. नर्सिंग में प्रवेश हेतु संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश से जारी आदेश क. 9/नर्सिंग/सेल 3/2015/815 दिनॉक 21.07.2015 सरल कमांक 07 पर अंकित सुश्री संगीता पवार स्टॉफ नर्स जयप्रकाश चिकित्सालय भोपाल को स्वयं के व्यय पर एम.एस.सी नर्सिंग करने की दी गई अनुमति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती हैं। एम.एस.सी. नर्सिंग करने की इच्छुक होने पर आगामी प्रशिक्षण सत्र में संचालनालय द्वारा पुनः अनुमति प्राप्त कर सकती है।

(डॉ.जे.एल.मिश्रा)
संचालक नर्सिंग
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्र. 9/नर्सिंग/सेल–3/2017/169 भोपाल, दिनॉक 23/02/2017

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश।
2. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी म.प्र.।
4. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.।
5. प्राचार्य नर्सिंग महाविद्यालय जबलपुर एवं उज्जैन।
6. प्राचार्य समस्त जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र म.प्र.।
7. स्थानीय एच.एम.आई.एस. कार्यालय।
8. सुश्री संगीता पवार जय प्रकाश चिकित्सा भोपाल की ओर पालनार्थ।

संचालक नर्सिंग
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

C:\Users\lenovo\Desktop\letter for sangeeta pawar .docx

7 Dec 2017 1:34 PM P C Thomas

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुडा भवन, मध्यप्रदेश

क./4/कार्या.स्था./सेल–3/2017/ भोपाल, दिनांक / /2017

आदेश

संचालनालय के जारी आदेश क. 610 दिनांक 21.6.2016 के द्वारा सरल क. 35 पर अंकित कु. निशा साखरे शासकीय बी.एस.सी. नर्सिंग महाविद्यालय जबलपुर से उत्तीर्ण छात्रा को नियुक्ति हेतु जिला चिकि. मंडला जबलपुर संभाग आवंटित किया गया था।

कु. साखरे की अंतिम वर्ष की अंकसूची माननीय उच्च न्यायालय के आदेश क. डब्ल्यू. पी. 20627/2015 दिनांक 24.08.2016 के परिपालन में विश्वविद्यालय की अधिसूचना क. 732 दिनांक 23.9.2016 के द्वारा निरस्त कर दी गई।

अतः कु. निशा साखरे की अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त करने के कारण इन्हें संचालनालय के आदेश क. 610 दिनांक 21.6.2016 के द्वारा दी गई नियुक्ति तत्काल निरस्त की जाती है। इनके द्वारा पुनः अंतिम वर्ष की परीक्षा पूरक परीक्षा विश्वविद्यालय के नियमानुसार वर्ष 2017 में उत्तीर्ण की गई है। जिसके आधार पर इन्हे नवीन नियुक्ति काउंसलिंग के द्वारा मेरिट कम के अनुसार प्रदान कर इनकी वरिष्ठता नवीन नियुक्ति के आधार पर संधारित की जावेगी।

(डॉ. जे.एल. मिश्रा)
संचालक (नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क./9/नर्सिंग/सेल–3/2017/795 भोपाल, दिनांक 18/8/2017

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सहायक आयुक्त स्वास्थ्य म.प्र.।
2. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें जबलपुर संभाग जबलपुर मध्यप्रदेश।
3. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला मंडला मध्यप्रदेश।

संचालक (नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

F:\ggg\order.doc\

7 Dec 2017 1:35 PM P C Thomas